न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 02/2021

1. प्रगट सिंह पुत्र अनोखसिंह जाति जटसिख निवासी गांव रोटावाली (चक 15 एल. एन.पी. सैकिण्ड–ए) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जसपाल सिंह पुत्र अनोखसिंह जाति जटसिख निवासी गांव रोटावाली (चक 15 एल. एन.पी. सैकिण्ड–ए) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. मखन सिंह पुत्र अनोखसिंह जाति जटसिख निवासी गांव रोटावाली (चक 15 एल. एन.पी. सैकिण्ड–ए) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. अमनदीप कौर पत्नी पप्पू सिंह जाति जटसिख निवासी गांव रोटावाली (चक 15 एल.एन.पी. सैकिण्ड–ए) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
2. सुखराम पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी गांव रोटावाली (चक 15 एल.एन.पी. सैकिण्ड–ए) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय/आदेश श्रीमान तहसीलदार राजस्व (भू0अ0)श्रीगंगानगर दिनांक 07.04.2021 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण की कृषि भूमि चक 15 एल.एन.पी. सैकिण्ड–ए के मुरब्बा नम्बर 25 व 45 प्रत्येक के किला नम्बर 1 से 5 में रास्ता मन्जूर न होते हुए भी एक तरफा तौर पर रास्ता चालू करने का एक तरफा दिये आदेश को निरस्त करने हेतु ।

उपस्थित :

1. श्री अरविन्द जाखड , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. सुखदेव सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

:: आदेश :: **दिनांक :–15.11.2021**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2021 एक तरफा तौर पर व अपीलार्थीगण को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना मनमर्जी से पारित कर खुलवाये जाने का आदेश गलत व खिलाफ होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तरदायी की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 47 व 65 चक 15 एलएनपी सैकिण्ड–ए के प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थीगण की भूमि चक 15 एलएनपी सैकिण्ड–ए के मुरब्बा नम्बर 45 व 25 के किला नम्बर 05 से 25 व फिर में से रास्ता चालू करने का आदेश दिनांक 07.04.2021 को एक तरफा तौर पर पारित किया है और तत्पश्चात एक तरफा तौर पर ही दिनांक 09.04.2021 को तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर ने मौका पर जाकर रास्ता खुलवाये जाने की कार्यवाही की है जबकि मुरब्बा नम्बर 25 व 45 अपीलार्थीगण का है इन दोनो मुरब्बो यानि मुरब्बा नम्बर 25 व 45 में कोई रास्ता मन्जूर शुदा नहीं है और ना ही कोई रास्ता चालू रहा है फिर भी तहसीलदार श्रीगंगानगर ने इसे चालू रास्ता बताकर इन दोनो मुरब्बों क्रमशः 25 व 45

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

में रास्ता चालू होना मानकर आदेश दिनांक 07.04.2021 पारित किया है जो गलत व खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त होने लायक है। अगर कोई भी व्यक्ति चालू रास्ता को बन्द करता है तो उसे खुलवाने की शाक्ति सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के निहित होती है और ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता खुलवाने की कार्यवाही न करने की सूरत में तहसीलदार को इस विवाद पर कार्यवाही करने का अधिकार होता है मगर इस प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर ने पत्रावली ग्राम पचांयत के पास न भेजकर स्वयं ने बिना अधिकारिता के आदेश दिनांक 07.04.2021 पारित किया है जो बिना अधिकारिता के पारित होने के कारण निरस्त होने लायक है। चक 15 एलएनपी सैकिण्ड–ए तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 47 व 65 के लिये पूर्व में ही रास्ता मुरब्बा नम्बर 48 व 47 के किला नम्बर 21 से 25 व फिर 21 से 25 में मन्जूर शुदा है तथा मौका पर चालू है जैसा कि हल्का पटवारी 15 एलएनपी सैकिण्ड–ए द्वारा दिये गये नक्शा से स्पष्ट है अधीनस्थ न्यायालय ने मौका की स्थिति की जांच किये बगैर व नक्शा मौका का परीशीलन किये बगैर आदेश दिनांक 07.04.2021 पारित कर दिया जो खारिज होने लायक है क्योंकि मुरब्बा नम्बर 46–47–48–64–65 को मन्जूर शुदा रास्ता उपलब्ध है और जब इन कृषि भूमिंयों को रास्ता उपलब्ध है तो दो बार रास्ता दिये जाने का कोई कानून नहीं है ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने लायक है और फिर चुपचाप तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर ने दिनांक 09.04.2021 को रास्ता खुलवाया है यह आदेश भी निरस्त होने लायक है ताकि अपीलार्थीगण अपनी खेती की जमीन का उपयोग कानूनी तरीके से कर सकें क्योंकि अपीलार्थी की खेती की जमीन मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 05 से 25 व मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 05 से 25 में कभी कोई रास्ता चालू नहीं था इस कारण अपीलार्थीगण ने अपनी फसलों की सुरक्षा हेतु मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 05 में तारों की बाड़ लगा रखी है ताकि पशु फसल खराब न कर सकें मगर तहसीलदार श्रीगंगानगर मौका पर जाकर मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 05 में लगी तारों की बाड़ हटवा दी है जिससे आबादी भूमि के आवारा पशु हमारी फसलों को खराब कर रहे है जिससे अपीलार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान पहुंच रहा है। उत्तरदायी संख्या 02 सुखराम ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं दर्शाया कि उसकी जमीन कौनसे मुरब्बा में और कौनसे किले में है और ना ही इस बाबत पटवारी हल्का/गिरदावर से कोई रिपोर्ट ली गयी है। रास्ता हमारी खड़ी फसल सरसों बरबाद करके रास्ता चालू करवा दिया जिससे हम अपीलार्थीगण को लाखों रूपये का नुकसान हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.04.2021 सुखचार के अन्तर्गत प्रचलित रास्ता को बंद करने पर खुलवाये जाने का आदेश दिया गया जिसको अपीलांट ने भी अपील में स्वीकार किया है। किसी भी सुखचार के अन्तर्गत चल रहे अस्वीकृत रास्ता को खुलवाने पर मामला किसी प्रकार से धारा 225 आरटीएक्ट में कवर नहीं करता बल्कि सुखचार के अन्तर्गत रास्ता खलवाने पर अदालत दीवानी में ही चुनौती दी जा सकती है। माननीय अदालत को दीवानी द्वारा सुनवाई कर सुखचार के अन्तर्गत रास्ता खुलवाया जाना सही था अथवा नहीं का निर्णय कर सकती है। तहसीलदार श्रीगंगानगर ने यह स्वीकार किया है कि रास्ता स्वीकृतशुदा नहीं है बल्कि सुखचार के तहत चल रहे रास्ता पर अतिक्रमण किया गया है इस कारण रास्ता खुलवाया जाने का आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्टस् द्वारा चक 15 एलएनपी द्वितीय ए के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 6,15,16,25 व मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5,6 में से रास्ता स्वीकृत करवाने का आवेदन पत्र

सक्षम न्यायालय में पेश किया हुआ है जिसमें जिस भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने का कथन किया गया है जिसमें खातेदारों को भी अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है तथा उन्ही के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज है तथा जमाबंदीयों की नकले भी पेश की है, यदि अपीलांटस प्रभावित है तो अपना पक्ष उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर में चल रहे रास्ता प्रकरण धारा 251–ए में पेश होकर अपना पक्ष रख सकते है। रास्ते पुराने चल रहे होने से इनके बारे में सुखचार प्राप्त हो चुका था तथा जानबूझकर अतिक्रमण करने के कारण अवैध अतिक्रमण को तहसीलदार द्वारा हटवाने की कार्यवाही की गई जो कि विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलांटस् ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2021 एक तरफा तौर पर व अपीलार्थीगण को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना मनमर्जी से पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तरदायी की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 47 व 65 चक 15 एलएनपी सैकिण्ड–ए के प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थीगण की भूमि चक 15 एलएनपी सैकिण्ड–ए के मुरब्बा नम्बर 45 व 25 के किला नम्बर 05 से. 25 व फिर में से रास्ता चालू करने का आदेश दिनांक 07.04.2021 को एक तरफा तौर पर पारित किया है जबकि मुरब्बा नम्बर 25 व 45 अपीलार्थीगण का है इन दोनो मुरब्बो यानि मुरब्बा नम्बर 25 व 45 में कोई रास्ता मन्जूर शुदा नहीं है और ना ही कोई रास्ता चालू रहा है फिर भी तहसीलदार श्रीगंगानगर ने इसे चालू रास्ता बताकर इन दोनो मुरब्बों क्रमशः 25 व 45 में रास्ता चालू होना मानकर आदेश दिनांक 07.04.2021 पारित किया है जो गलत व खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त होने लायक है। कोई भी व्यक्ति चालू रास्ता को बन्द करता है तो उसे खुलवाने की शाक्ति सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के निहित होती है और ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता खुलवाने की कार्यवाही न करने की सूरत में तहसीलदार को इस विवाद पर कार्यवाही करने का अधिकार होता है मगर इस प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर ने पत्रावली ग्राम पचांयत के पास न भेजकर स्वयं ने बिना अधिकारिता के आदेश दिनांक 07.04.2021 पारित किया है जो बिना अधिकारिता के पारित होने के कारण निरस्त होने लायक है। चक 15 एलएनपी सैकिण्ड–ए तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 47 व 65 के लिये पूर्व में ही रास्ता मुरब्बा नम्बर 48 व 47 के किला नम्बर 21 से 25 व फिर 21 से 25 में मन्जूर शुदा है तथा मौका पर चालू है हल्का पटवारी 15 एलएनपी सैकिण्ड–ए द्वारा दिये गये नक्शा से स्पष्ट है अधीनस्थ न्यायालय ने मौका की स्थिति की जांच किये बगैर व नक्शा मौका का परीशीलन किये बगैर आदेश दिनांक 07.04.2021 पारित कर दिया जो खारिज होने लायक है क्योंकि मुरब्बा नम्बर 46–47–48–64–65 को मन्जूर शुदा रास्ता उपलब्ध है और जब इन कृषि भूमिंयों को रास्ता उपलब्ध है तो दो बार रास्ता दिये जाने का कोई कानून नहीं है ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने लायक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2021 विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 47 व 65 चक 15 एलएनपी सैकिण्ड–ए के प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थीगण की कृषि भूमि चक 15 एलएनपी सैकिण्ड –ए के मुरब्बा नम्बर 45 व 25 के किला नम्बर 05 से 25 व फिर में से रास्ता चालू करने का आदेश दिनांक 07.04.2021 को एक तरफा तौर पर पारित किया है

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जबकि चक 15 एलएनपी सैकिण्ड–ए तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 47 व 65 के लिये पूर्व में ही रास्ता मुरब्बा नम्बर 48 व 47 के किला नम्बर 21 से 25 व फिर 21 से 25 में मन्जूर शुदा है तथा मौका पर चालू है हल्का पटवारी 15 एलएनपी सैकिण्ड–ए द्वारा दिये गये नक्शा से प्रमाणित होता है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षो को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिसम्मत् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(भवानी सिंह पंवार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर